

जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित लाइमस्टोन खनन परियोजना मैसर्स व्हाइट एन व्हाइट मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं.:— **TKSB-38**, प्रस्तावित क्षेत्र— 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ— 300320 टीपीए, निकट गांव— हरिपुरा खोड़वा, तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइमस्टोन खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर, नागौर के प्रतिनिधि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर श्री सुनिल पंवार की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के प्रतिनिधि श्री तेजस्व मुद्गल, सहायक पर्यावरण अभियंता की उपस्थिति में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नायकों की ढाणी हरिपुरा, तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.) में दिनांक 22/12/2025 को सायं 04:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र "द इंडियन एक्सप्रेस" एवं "दैनिक भास्कर" में दिनांक "18/11/2025" को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं। श्री तेजस्व मुद्गल, सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति पत्र परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर के प्रतिनिधि ने सभी आगुन्तकों का स्वागत किया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय ने अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर नागौर की तरफ से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय

Ms

nt

तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स व्हाइट एन व्हाइट मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स आर. के. कन्सल्टेंट्स को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स आर. के. कन्सल्टेंट्स के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव— हरिपुरा खोड़वा, तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.) में खनिज— लाईमस्टोन खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका ब्लॉक नं.:— TKSБ-38, प्रस्तावित क्षेत्र— 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ— 300320 टीपीए, निकट गांव— हरिपुरा खोड़वा, तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.) में स्थित है, में लाईमस्टोन खनन परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।


सर्वप्रथम श्री सुरेश, निवासी खोड़वा ने कहा कि उक्त खनन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।


श्री लुंबाराम, निवासी खोड़वा ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सुखराम, निवासी नायकों की ढाणी, हरिपुरा ने कहा कि बस्ती के इक्कट्टे होने के बिना जन सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र में जन सुनवाई की सूचना

पर्याप्त नहीं थी। क्षेत्र में हम सभी के खेत बहुत छोटे-छोटे हैं, एक-एक, दो-दो बिघा है। यहां खनन के लिए जमीन नहीं है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।


श्री (लेजल सुपरीवाइजर)
सहायक पर्यावरण अभियंता
Rajasthan State Pollution Control Board
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर


श्री सुनिल पंवार,
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
खिवसरा

उपस्थिति पंजिका

लाइमस्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

लाइमस्टोन खनन परियोजना मैसर्स व्हाइट एन व्हाइट मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं:- TKS-38, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 300320 टीपीए, निकट गांव- हरिपुरा कोड़वा, तहसील- खीवसर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नायकों की ढाणी हरिपुरा, तहसील- खीवसर, जिला- नागौर (राज.)

दिनांक: 22.12.2025,

समय: सायं 04:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
01	Sh Sunil Panwar	SDM, Khinwar	
02	Tejas Kumar	ADG, RMED	
03	Ajay Aggarwal	Manakpur	
04	लोकेश सिंह	आर के कमल रेन, जौनपुर	
5	सुमेर	खोड़वा हरिपुरा	
6	पेम प्रकाश	खोड़वा	
7	राम प्रकाश	खोड़वा	
8	सुरेश	हरिपुरा	
9	विश्व	हरिपुरा	
10	विश्व	हरिपुरा	
11	विश्व	हरिपुरा	
12	जी वंश राम	हरिपुरा	
13	शोभा	हरिपुरा	
14	महेश	हरिपुरा	
15	सुभाष	खोड़वा	
16	जिनोर	खोड़वा	
17	Munna	Khodwa	
18	अरविन्द सिंह	Khodwa	
19	कौमोश	हरिपुरा	
20	धर्मराज	हरिपुरा	
21	गणेश		

उपस्थिति पंजिका

लाइमस्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

लाइमस्टोन खनन परियोजना मैसर्स व्हाइट एन व्हाइट मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं.:— TKS-38, प्रस्तावित क्षेत्र— 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ— 300320 टीपीए, निकट गांव— हरिपुरा कोड़वा, तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:— राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नायकों की ढाणी हरिपुरा, तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.)

दिनांक: 22.12.2025,

समय: सायं 04:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
22	सुरेश	खोडवा	सुरेश
23	अपीत	ताडावास	अपीत
24	गोपाल	हरिपुरा	
25	सुरेश	खोडवा	सुरेश
26	मुन्ना	खोडवा	Munna
27	रवि	खोडवा	रवि
28	मूलाराम जाट		
29	तुल्याराम	नाइके	तुल्याराम
30	सुरेश	नाइके खोडवा	सुरेश
31	शकेश	नायक खोडवा	शकेश
32	कुपाराम	नायक खोडवा	कुपाराम
33	माहपाल	भूखंडल खोडवा	माहपाल
34	उडाश जोशी	ताडावास	उडाश
35	गोपाल	हरिपुरा	
36	सुभाष	खोडवा	सुभाष
37	अमेश	हरिपुरा	अमेश
38	Shanku	Jodhpur	Shanku
39	Nawalr	Jodhpur	Nawalr



विषय: मैसर्स व्हाइट एन व्हाइट मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की लाइमस्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति पर गंभीर आक्षेप, विस्तृत जानकारी की मांग एवं जनहित याचिका (Public Interest Petition) |

1 message

Kala Pawan <pwnkala@gmail.com>
To: rorpcb.nagaur@gmail.com

22 November 2025 at 13:14

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (RSPCB)
प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक,
कॉलेज रोड पुलिस लाइन के सामने,
जिला-नागौर 341001
ईमेल:

संदर्भ: आपका आम सूचना पत्र संख्या RPCB/RO NGR/PUB-226/2915-19, दिनांक 11-11-2025।

माननीय महोदय/महोदया,

मैं, नागौर जिले का एक जिम्मेदार वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार) के तहत प्राप्त अधिकारों के प्रति सचेत हूँ और प्रस्तावित लाइमस्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के संबंध में जनहित में निम्नलिखित गंभीर एवं महत्वपूर्ण आक्षेप तथा मांगों को प्रस्तुत करता हूँ।

हमारा मानना है कि जब तक नीचे दिए गए बिंदुओं पर प्रमोटर द्वारा विश्वसनीय, साक्ष्य-आधारित एवं समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करना जनहित और पर्यावरणीय न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

खण्ड 'क': प्रमोटर का रिकॉर्ड और अनुपालन (Promoter's Record and Compliance)

मांग संख्या

1: पूर्व स्वीकृति सत्यापन (Verification of Past EC Compliance)

प्रमोटर, मैसर्स व्हाइट एन व्हाइट मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा पूर्व में भारत के किसी भी राज्य में प्राप्त की गई औद्योगिक/खनन पर्यावरण स्वीकृतियों (EC) में निर्धारित शर्तों (Stipulated Conditions) की पालना की वर्तमान स्थिति का स्वतंत्र, सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी से सत्यापन करवाया जाए। सत्यापन रिपोर्ट को जन सुनवाई से पूर्व सार्वजनिक किया जाए।

मांग संख्या

2: खराब रिकॉर्ड पर जवाबदेही (Accountability on Poor Compliance Record)

यदि प्रमोटर का पूर्व में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन या खराब अनुपालन का कोई रिकॉर्ड रहा है, तो इस नई परियोजना में शून्य उल्लंघन (Zero Violation) सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय बैंक गारंटी (Financial Bank Guarantee) जमा करवाई जाए, जिसे नियमों के उल्लंघन पर RSPCB द्वारा जब्त किया जा सके।

खण्ड 'ख': पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव (Environmental and Ecological Impacts)

मांग संख्या

3: कृषि पारिस्थितिकी पर प्रभाव और शमन (Impact on Agro-Ecology and Mitigation)

प्रस्तावित खनन से उत्पन्न लाइमस्टोन/चूना पत्थर के धूल कणों (Particulate Matter) के फैलाव का वैज्ञानिक मॉडलिंग प्रस्तुत किया जाए।

* यह स्पष्ट किया जाए कि धूल और जल संकट से स्थानीय किसानों की फसलों, फलदार वृक्षों और पशुधन चारे पर पड़ने वाले दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों का आकलन क्या है?

* इन प्रभावों की रोकथाम के लिए प्रस्तावित शमन उपाय (Mitigation Measures), उनकी प्रभावशीलता की गारंटी और तटस्थ तृतीय-पक्ष मॉनिटरिंग (Third-Party Monitoring) प्रणाली का ब्यौरा दिया जाए।

मांग संख्या

4: वन्यजीव आवास और पुनर्वास (Wildlife Habitat and Rehabilitation Plan)

इस क्षेत्र के स्थानीय पालतू पशुओं और जंगली जीवों (यथा नीलगाय, लोमड़ी, खरगोश, साँप, नेवले आदि) के प्राकृतिक आवास (Habitat), चारागाह और जलस्रोतों पर खनन से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का विस्तृत 'जैविक आकलन' (Biological Assessment) प्रस्तुत किया जाए।

* मांग: वन्यजीवों के पुनर्वास (Rehabilitation), सुरक्षित आवागमन गलियारों (Wildlife Corridors) के निर्माण और पर्यावास समाप्ति के निवारण हेतु वन विभाग द्वारा अनुमोदित (Forest Department Approved) एक विस्तृत कार्य योजना अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।

मांग संख्या

5: पक्षी संरक्षण और नेस्टिंग साइट्स (Avian Conservation and Nesting Sites)

स्थानीय पक्षियों (मोर, गिद्ध, तोते, चिड़िया आदि) के घोंसले (Nesting Sites) और रोस्टिंग क्षेत्रों (Roosting Areas) को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए क्या संवर्धन और संरक्षण प्रावधान (Enhancement and Conservation Provisions) प्रस्तावित हैं?

मांग संख्या

6: भूजल संसाधनों पर कंपन का प्रभाव (Vibration Impact on Hydro-Geology)

यदि खनन में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, तो स्थानीय नलकूपों, टांकों और बावड़ियों पर धमाकों और भूगर्भीय कंपन के कारण होने वाले ढांचागत और जलधारा (Aquifer) को होने वाले नुकसान का भूवैज्ञानिक (Geo-Hydrological) आकलन प्रस्तुत किया जाए।

* मांग: किसी भी क्षति की स्थिति में प्रमोटर द्वारा त्वरित और पूर्ण क्षतिपूर्ति (Prompt and Full Compensation) तथा मरम्मत की जिम्मेदारी का कानूनी हलफनामा (Legal Affidavit) दिया जाए।

खण्ड 'ग': सामाजिक और रोजगार प्रतिबद्धताएं (Social and Employment Commitments)

मांग संख्या 7: स्थानीय लोगों को रोजगार की गारंटी (Guarantee of Local Employment)

प्रमोटर स्थानीय बेरोजगारों को कैसे और किस अनुपात में रोजगार प्रदान करेगा, इस संबंध में स्पष्ट प्रतिशत, कौशल विकास योजना (Skill Development Plan) और समयबद्ध कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

* मांग: यह सुनिश्चित किया जाए कि अर्ध-कुशल और अकुशल कार्य (Semi-skilled and unskilled jobs) प्राथमिकता के आधार पर नागौर जिले के निवासियों को ही प्रदान किए जाएं।

मांग संख्या 8: शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा (Safety of Educational Institutions)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की ढाणी की निकटता को देखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की सुरक्षा हेतु खनन कार्य को स्कूल की चारदीवारी से निर्धारित दूरी (Stipulated Buffer Zone) से भी अधिक दूरी पर सीमित करने और 24x7 धूल/शोर मॉनिटरिंग की मांग की जाती है।

अतः मेरा यह स्पष्ट और अंतिम अनुरोध है कि जन सुनवाई में इन सभी विस्तृत और विशिष्ट मांगों पर प्रमोटर से सार्वजनिक रूप से जवाब मांगा जाए, और उनके संतोषजनक निराकरण तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) में शामिल किए जाने तक परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को स्थगित रखा जाए।

धन्यवाद।

भवदीय,

पवन कुमार काला,

30, सैनिक बस्ती,

नागौर

M #9413315001

बैंक ऑफ बरोडा Branch: Jawahar Nagar Sriganganagar **Bank Break**

All concerned are informed that as per the provision of the Bank Lock and in case of non-payment of dues the below mentioned lockers will be broken and contents will be disposed off.

Sr.	Locker Number	Name of the Locker Holder	Last Known Address	Exp. of lock
1	5265AX0158/81	Sujata, w/o Narendra Kuniar	4D73 Jawahar Nagar Behind Gupta Nursing Home, Sriganganagar	11/11/2025

If the customer concerned has any objection or the locker holder wishes to amount or resolve the issue, he/she is requested to contact the branch before breaking open the locker. If the locker holder does not respond or does not take the Bank reserves the right to break open the locker and take further action as conditions of the locker agreement. This notice is issued in accordance with the regulatory requirements. For any queries or matters, please contact us at 88755 at srijaw@bankofbaroda.co.in.

Date: 14.11.2025

Authorized Officer

Regional Officer
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
 1st Floor, Sakhari Bhumi Vikas Bank, College Road Opposite Police Line, District-Nagaur 341001, Email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL
 RPCB/RO NGR/PUB-226/2915-19 Date: 11-11-2025

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि 'लाइमस्टोन खनन परियोजना मैसर्स काइटे एन काइटे मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं.- TKSB-38, प्रस्तावित क्षेत्र 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उपान्त क्षमता के साथ 300320 टीपीए निकट गांव- हरिपुर, खोडवा, तहसील- खीवर, जिला नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइमस्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिग्रहण आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया है। 2. और चूंकि मैसर्स काइटे एन काइटे मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड को जन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है। 3. और चूंकि उपरोक्त लोक सुनवाई में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु जन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संश्लेषण अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं सार रिपोर्ट) निर्माकित कार्यालय पर अवलोकनात्मक उपलब्ध है- 1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र आलाना झरनी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, जन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6. खनिज अभियान, नागौर। 7. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर। 9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिजो, नागौर। 10. जिला उद्योग केंद्र, नागौर। 11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर। 12. तहसीलदार, खीवर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति खीवर। 14. ग्राम पंचायत, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की झण्गी, हरिपुर, तहसील - खीवरस विज्ञान नागौर। 6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 22.12.2025 को सायं 04-00 बजे, स्वतः- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की झण्गी, हरिपुर तहसील, खीवर जिला नागौर में आयोजित की जायेगी। जन सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक में उपस्थित जन सुनवाई के लिए उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आदेय प्रस्तुत कर सकते हैं इस सम्बन्ध में लिखित आदेश / सूत्राव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड पुलिस लाइन के सामने नागौर में विद्ये जा सकते हैं।

भवदीय - राजकुमार मीणा क्षेत्रीय अधिकारी

MANAPPURAM HOME FINANCE
 FORMERLY MANAPPURAM HOME FINANCE
 CIL : U65923KL2010PLC039179

Read Office: IV/470A (OLD) W/638A (NEW) Manappuram House Valad Thiruvananthapuram
 Corp Office: Manappuram Home Finance Limited, Third Floor, Unit No. 301 to 305 Kanakia Wall Street, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400093, Maharashtra
 Phone No. : 022-86211000, Website: www.manappuramhomefinance.com

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Manappuram Home Finance Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 of the Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice and interest thereon within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property mentioned below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act and the said rules. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned that any further interest, charges & expenses etc., from 18/08/2025 within 60 days from the date of the said notice.

Sr. No.	Name of Borrower and Co-borrower / Last account number/ Branch	Description Of Secured Asset in Respect Of Which Interest Has Been Created	Area/ Sq. Ft.
1	Mausam Devi, Jeetendra Kumar Jatav, Mukesh Kumar Jatav /MHL0625034783/ Jaipur	Plot With Patta No. 5831. In Khasra No.469. Village Kanjoli, Gram Panchayat Kanjoli, Tehsil Todabhim District Gangapur City, Karauli, Rajasthan - 322200 Area 272.24 Sq. Yards. East-Janak Gurjar's Pator Posh, West-Road, South-Open Land of Ramsawroop, North-House of Raju And Pator Posh	12-09 Sq. Ft.
2	Neeraj Bai, Bhur Singh, Devi Singh /MHL0625033969/ Jaipur	Residential Land of Plot (Patta No. 1355) Admeasuring 67.36 Sq. Yd., At Gram Panchayat Mendhe Ka Pura, Panchayat Samiti Nagodi, Dist. Karoli, Rajasthan, Pin Code: 322216, East-6 Ft. Gali After Then House of Mr. Ramprasad, West-Common Way, South-Land of Mr. Harkash After Then 15 Road, North-Self Open Land After Then House of Mr. Radhe Shyam	12-09 Sq. Ft.
3	Mandor Devi, Ramprasad Meena, /MHL0625025413/ Jaipur	Plot With Patta No. 67, Sankalp No. 02, Village Hamawas Gram Panchayat Bhanwata, Panchayat Samiti Rimgaon Panchwara, District, Area 177.77 Sq. Yds. Within The Jurisdiction of Gram Panchayat Bhanwata, And Within The Limits of Sub-Registrar Rahawas, P.O. Nangal Rajawat, Rajasthan, Pin Code: 303505, East-Common Way, West-Agr. Land of Goverdhan Meena, South-Common Way, North-Open Residential Land	12-09 Sq. Ft.

Date: 18th November 2025 | Place: RAJASTHAN | Sd/- Authorised Officer Manappuram

पंजाब नेशनल बैंक Circle Office, Hanumangarh; 3rd Floor, Goyal Ashish Cinema, Hanumangarh Junction, Email: COHANUSAMD@PNB.BA

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 read with Rule 8 of the Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice Dated 18/08/2025 to the Borrower - M/s Bajrang Trading Co. through Prop - Smt. Santosh Devi Mali to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 35,31,302.28 (Rupees Thirty-One Thousand Three Hundred Two and Paise Twenty-Eight only) as on 18/08/2025 within 60 days from the date of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the public in general that the undersigned has taken possession of the property mentioned below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act and the said rules. The borrower's attention is invited to Provision (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned that any further interest, charges & expenses etc., from 18/08/2025 within 60 days from the date of the said notice.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the Residential Property bearing Patta No. 425, No. 7 (Old Ward No 5), Mohalla Chand Bass, Sujangarh District, Admeasuring 2649'9" standing in the name of Smt. Santosh Devi Mali, Bounded By:- East - House of Ramchandra S/o Amarchand Mali, West - Lal Mali, North - Aam Rasta & House of Nandaram Mali, South - House of (Mohammadi) Properties / Address of Punjabi National Bank to be Enforced

Date: 15/11/2025 Place: Sujangarh

JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION
 (acting in its capacity as trustee of AC)
 Corporate Identification No.: U67190MH2007PLC174287
 Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025 Phone: +91 22-26997897

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the JM Financial Asset Reconstruction Company Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Rule 8 of the Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice and interest thereon within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property mentioned below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act and the said rules. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned that any further interest, charges & expenses etc., from 18/08/2025 within 60 days from the date of the said notice.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the Residential Property bearing Patta No. 05, Khoda Ganesh Ji Road, Dist Ajmer Rajasthan. 89.7 SQ YARD

Date: 15/11/2025 Place: Sujangarh

INFINITY
 FINANCIAL SOLUTIONS
 Unit No. B/003 A, on the Ground Floor, Near Courtyard Marriott, 215-Atrium, Andheri- Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400093

POSSESSION NOTICE

Whereas The Undersigned Being The Authorized Officer Of The Infinity Fincorp Solutions Pvt. Ltd Under The Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(2) Read With Rule 8 Of The Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Issued A Demand Notice Dated 22nd August 2024 Calling Upon The Borrower (S) /Co-Borrower(S) (1) Shaitan Meena At- Arniya Rasa, Bhiwara-311404, Rajasthan, Also at-Patta No.17 situated at Gram Panchayat Arniya Rasan, Panchayat Samiti Shahpura, Village Arniya Rasan, Tehsil Shahpura & District- Bhiwara, Rajasthan-311404 (2) Ratani Devi At- Arniya Rasa, Bhiwara-311404, Rajasthan and To Repay The Amount Mentioned In The Notices Being Rs. 20,53,000/- (Rupees Twenty Lakh Fifty-Three Thousand Only) as on 14/08/2024 within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The Borrower(s)/Co-borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 15th November 2025.

The Borrower(s)/ Co-Borrower(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Infinity Fincorp Solutions Pvt Ltd for a total amount Rs. 20,53,000/- (Rupees Twenty Lakh Fifty-Three Thousand Only) as on 14/08/2024 and further cost and interest thereon.

Description of Immovable Property
Mortgage over following properties: All the piece or parcel of Residential Property of Patta No.17 situated at Gram Panchayat Arniya Rasan, Panchayat Samiti Shahpura, Village Arniya Rasan, Tehsil Shahpura & District- Bhiwara, Rajasthan, admeasuring 1139.5 Sq Ft, belonging to Shaitan Meena East: - Self Property North: - Property of Mr. Shankar Nath South: - Property of Mr. Bheru Lal Meena West: - Public Way

Place: Bhiwara
 Date: 15/11/2025

Infinity Fincorp Solutions Pvt Ltd
 A/c:- Pramendrasingh Parihar

Indiabulls
 ASSET RECONSTRUCTION

Indiabulls Asset Reconstruction Company Limited
 One International Center, 4th Floor, Tower 1, Elphinstone Road, Mumbai 400013

POSSESSION NOTICE
 [(Appendix IV) Rule 8(3)]

Whereas the undersigned being the Authorized officer of Indiabulls Asset Reconstruction Company Ltd., having its Registered Office at Indiabulls Asset Reconstruction Company Limited, One International Centre, Tower-1, 4th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400013, under the provision of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 OF 2002) (hereinafter referred to as "IBARC") and in exercise of powers conferred under section 13 read with Rule 8 of the Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice and interest thereon within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property mentioned below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act and the said rules. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned that any further interest, charges & expenses etc., from 18/08/2025 within 60 days from the date of the said notice.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the Residential Property bearing Patta No. 05, Khoda Ganesh Ji Road, Dist Ajmer Rajasthan. 89.7 SQ YARD

Date: 15/11/2025 Place: Sujangarh

संखवास, टैक्टरों से जाती बारात।



संखवास, टैक्टरों से जाती बारात।

सहायक ट्रस्ट की ओर से एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें 6 गांवों के 19 महिला-पुरुषों ने भाग लिया। ट्रस्ट से आए कार्यक्रम समन्वयक प्रमोद शिंदे ने बताया कि बच्चों में एनीमिया की पहचान आंख का सफेद होना, सांस का फूलना, हाथों में जकड़न, बालों का झड़ना आदि रहता है। भारत में एनएफएस 5 (2019 से 2021) के आंकड़े बताते हैं कि

राजस्थान तीसरे नंबर पर है। इस रोग से बचने के लिए हर घर में पोषण वाटिका आवश्यक है। जिसमें 13 प्रकार की सब्जियों से वाटिका तैयार करना होगा। संस्थान सचिव धनाराम ने बताया कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए अपने घर में पोषण वाटिका लगानी है। कार्यशाला में प्रधानाचार्य देवाराम, इंद्रचंद्र व सरस्वती स्कूल के खियाराम, खेताराम, पोटलिया, टिकुराम, विकास आदि ने भाग लिया।

ओर से सत्यनारायण, हरीश कुमार, कन्हैयालाल एवं रामअवतार पारीक द्वारा की गई। समारोह में सीकर के सत्यनारायण तिवाड़ी, तिलानेस के रामअवतार पारीक, इडवा के रामदेव पारीक, राजस्थान ब्राह्मण समाज के बेनी गोपाल शर्मा, तहसील अध्यक्ष घनश्याम पांडिया, पवन पुरोहित, अनिल तिवाड़ी, तेजराज पारीक, राकेश पारीक, हीरालाल तिवाड़ी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

वीं जयंती पर उमड़ा भक्ति का सैलाब साइकिल-रथ यात्रा

ऐतिहासिक स्वागत

महाराज की पादुकाओं के किए दर्शन

त किया। यात्रा के रथ में जेत संत नामदेव महाराज की चरण पादुकाओं के दर्शन को की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर पहुंचने पर पादुकाओं विधिवत पूजन-अर्चन किया भागवत धर्म प्रचारक सूर्यकांत ने बताया कि यात्रा की शुरुआत नवंबर को पंढरपुर से हुई थी। 111 साइकिल यात्री और मंडली के सदस्य देशभर में नामदेव महाराज के विचार ता, समानता, भक्ति और शारे का संदेश लेकर चल रहे हैं।

यह यात्रा आठ राज्यों से गुजरते हुए 3 दिसंबर को पंजाब के श्री क्षेत्र घुमान पहुंचेगी, जहां संत नामदेव महाराज की स्मृति में भव्य मंदिर स्थित है। इस दौरान बस्तीराम टेलर, नोरतमल, ओमप्रकाश, नेमीचंद, रामदेव, रामस्वरूप, रामेश्वरलाल, नरसीराम, राजेंद्र कुमार, विष्णु कुमार, महावीर कुमार, कचरूलाल, लक्ष्मीनारायण, मुकेश कुमार, घनश्याम परिहार, पवन, सुनील कुमार, पवन कुमार, प्रदीप कुमार, राकेश कुमार, आनंद कुमार, रवि कुमार, प्रिंस कुमार मौजूद रहे।

गौरव सेनानी संस्था का सम्मान सम्मरोह

भास्करन्यूज मेडताशिटी

गौरव सेनानी संस्था मेडता द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के संरक्षक एवं मेडता के पूर्व प्रधान भंवरसिंह चांदावत का भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा प्रदान किए गए वेटेरन्स एचीवर्स अवॉर्ड के उपलक्ष में सम्मान किया गया। यह अवॉर्ड उन्हें गत 2 अक्टूबर को बीकानेर में सक्रिय सेवा के अलावा सेवानिवृत्ति के बाद भी राजनीति, शिक्षा, सामाजिक सरोकार एवं पूर्व सैनिकों के हितार्थ किए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया था। चांदावत लंबे समय से समाज सेवा, सैनिक कल्याण, ग्रामीण विकास और शिक्षा गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहे हैं।

10 छात्राओं के लिए 1,10,000 रुपए का चैक सौंपा

डीडवाना। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी महिला समिति की सदस्यों ने कॉलेज का निरीक्षण किया। इस वर्ष भी अध्ययनरत 10 छात्राओं के लिए गोद अनुदान योजना के तहत 1,10,000 रुपये का चैक प्रदान किया।

Regional Officer
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road Opposite Police Line,
District-Nagaur 341001, Email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL
RPCB/RO NGR/PUB-226/2915-19 Date : 11-11-2025

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सधं संधारण को सुचित किया जाता है कि 'लाइमस्टोन खनन परियोजना मैसर्स काइट एन काइट विमलस प्रॉपर्टी लिमिटेड, ब्लॉक नं.- TKSB-38, प्रस्तावित क्षेत्र 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उपखण्ड क्रमांक के साथ 399/370 सीपीएन, सिविल गांव- हनुमान, खोड़वा, तहसील- खीबसर, जिला नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइमस्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्राथमिक, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया है। 2. और चूंकि मैसर्स काइट एन काइट विमलस प्रॉपर्टी लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है। 3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस अज्ञाप की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संश्लेषण अग्रिमलेख (पर्यावरण प्रभाव अंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अखिलेकनार्थ उपलब्ध है:-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र आत्माना डुंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6. खनिज अभियांत्रिकी, नागौर। 7. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर। 9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खीबसर। 12. तहसीलदार, खीबसर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति खीबसर। 14. ग्राम पंचायत, वैरावासर, तहसील-खीबसर, जिला नागौर। 15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की हागी, हरिपुर, तहसील - खीबसर जिला नागौर। 6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 22.12.2025 को सायं 04.00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की हागी, हरिपुर, तहसील- खीबसर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी। अतः पर्यावरण विभाग को नोटिस के माध्यम से सूचित द्वारा सूचना किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड पुलिस लाइन के सामने नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय - राजकुमार पीणा क्षेत्रीय अधिकारी



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

1st फ्लोर सुदामा भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाईन के सामने, नागौर
पर्यावरण, वन एवं जल विभाग, परिसर, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक: 14 सितम्बर, 2006 की अनुपालनास्वरूप

लाइमस्टोन खनन परियोजना के लिए

आवृणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई

दिनांक: 22 दिसम्बर 2025 समय: सांय: 4.00 बजे

स्थान: राजकीय उ.प्रा. विद्यालय, नायकों की ढाणी, हरिपुरा, तहसील-खीवसर, जिला-नागौर

आवेदक का नाम व पता	ग्राम	तहसील एवं जिला	खनिज	ब्लॉक संख्या	प्रस्तावित उत्पादन	क्षेत्रफल
मैसर्स व्हाइट एण्ड व्हाइट मिनरल्स प्रा.लि ग्राम-खोड़वा, प्लॉट नं. 16/IB खोड़वा, तहसील-खीवसर, जिला-नागौर	हरिपुरा खोड़वा	खीवसर जिला नागौर	लाइमस्टोन	TKSB -38	300320 टन प्रति वर्ष (ROM)	4.80 हैक्टर

लाइमस्टोन	TKSB -38	टन प्रति वर्ष (ROM)	4.80 हैक्टर
-----------	----------	---------------------	-------------





Haripura, Rajasthan, India 
Xg93+52m, Haripura, Rajasthan 341025, India
Lat 26.967654° Long 73.503528°
Thursday, 18/12/2025 03:02 PM GMT +05:30

लाइमस्टोन	TKSB -38	300320 टन प्रति वर्ष (ROM)	4.80 हेक्टर
-----------	-------------	-------------------------------------	----------------











